प्रेस नोट **10.08.2022**

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 10 हजार रूपये का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक तथा क्षेत्राधिकारी घोसी के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 10.08.2022 को थाना कोपागंज पुलिस व स्वाट टीम को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर काछिकला अन्डर पास के पास से थाना हलधरपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 159/22 धारा 2,3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 10 हजार रूपये का इनामिया अभियुक्त दिलीप पाण्डेय पुत्र शिवप्रकाश पाण्डेय निवासी लवछी थाना बरहज जनपद देवरिया के कब्ते से एक अवैध तमंचा व एक अदद जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। बरामद अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 359/22 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. दिलीप पाण्डेय पुत्र शिवप्रकाश पाण्डेय निवासी लवछी थाना बरहज जनपद देवरिया।

बरामदगी–

1. एक अवैध तमंचा व एक अदद जिंदा कारतूस 12 बोर।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

उ0नि0 अमित मिश्र प्रभारी स्वाट टीम/थानाध्यक्ष कोपागंज, उ0नि0 गंगासागर मिश्र, का0 जितेन्द्र यादव, का0 देवदत्त भारती, का0 संदीप कुमार **थाना कोपागंज।**

हे0का0 अजय यादव, का0 अवधेश यादव, का0 औरंगजेब, का0 नीरज यादव, का0 अमरनाथ मौर्य, का0 राजेश पटेल, का0 शत्रुधन यादव **स्वाट टीम।**

का0 विवेक सिंह, का0 बृजेश मौर्य **सर्विलांस टीम।**

05 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से कुल 15 मोबाइल फोन बरामद–

आज दिनांक 10.08.2022 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **सरायलखंसी** पुलिस द्वारा फातिमा गेट के पास से मानसिंह पुत्र भूपेन्द्र सिंह निवासी कहिनौर थाना सरायलखंसी, मनीष यादव पुत्र रामनरेश निवासी खानपुर थाना सरायलखंसी, सौरभ सिंह पुत्र संजीव सिंह निवासी धवरियासाथ थाना कोपागंज के कब्जे से चोरी की 08 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया। उक्त चोरी की मोबाइल में से कुछ मोबाइलफोन पलिगढ़ के विनय कुमार के दुकान से, कुछ सदर अस्पताल के पास से चोरी हुयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर पूर्व में मु0अ0सं0 445,446/22 धारा 379 भादवि0 पंजीकृत किया गया था। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 447/22 धारा 41,411 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा सलाहाबाद मोड़ के पास से अरबाज समीम पुत्र समीम इकबाल निवासी खीरीबाग, मो0 आसिफ पुत्र मो0 अनीश निवासी मुंशीपुरा थाना कोतवाली के कब्जे से चोरी की 02 अदद मोबाइल फोन बरामद कर गिरफ्तार किया गया। उक्त मोबाइलफोन पहाड़पुर थाना कोतवाली से वादी मो0 आरिफ की चोरी हुयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 370/22 धारा 379 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस सम्बन्ध में पूर्व में पंजीकृत अभियोग में धारा 411 भादवि0 की बढोत्तरी कर अभियुक्तगण का चालान न्यायालय किया गया।
थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा जमनीपुर रोड के पास से एक अपचारी किशोर के कब्जे से 05 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया। उक्त मोबाइलफोन मिश्रौली से सर्वजीत मिश्र के हाते में घुस कर चोरी किये गये थे जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर अज्ञात के खिलाफ मु0अ0सं0 211/22 धारा 380 भादवि0 पंजीकृत किया गया था।

शांति भंग की आशंका में 41 व्यक्ति गिरफ्तार–
आज दिनांक 10.08.2022 को जनपद के विभिन्न थानो द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा अंशु वर्मा निवासी पूराबाजार थाना कोपागंज, विजय गौतम, टार्जन खरावार, संदीप गौतम निवासीगण रैनी, फकरेआलम निवासी डोमनपुरा थाना दक्षिणटोला, थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा विनोद निवासी सियरही बर्जला, पिन्टू निवासी रसूलपुर, थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा सुमन चौहान, कौशल्या देवी, अकली देवी निवासीगण छतरपुर थाना हलधरपुर, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा रोशन निवासी सहादतपुरा, शिवसागर निवासी मुसरदह थाना कोतवाली, थाना मधुबन पुलिस द्वारा राजमंगल यादव, सुनिता यादव, इन्द्रजीत यादव निवासीगण मटूरी मरियम, विनित निवासी कुण्डा सरिखपुर, विनोद पाण्डेय निवासी तालपरास, सादिक अली निवासी परशुरामपुर, अखिलेश चौहान निवासी नुरूल्लाहपुर थाना मधुबन, थाना रानीपुर पुलिस द्वारा शिवबचन पासी, रामलखन, मोहनराम, सोहन निवासीगण खीरीया, प्रकाश निवासी मन्दे थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़, सहयोग निवासी घूटमा, भरतलाल निवासी कोट थाना तरवा जनपद आजमगढ़, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा इकबाल, कलीम, असलम, इस्लाम, इम्तियाज, नसीम, मु0 इसरारूल, इफ्तेखार, अजमुद्दीन, इरशाद, रंगालाल, सुभाष, ओमप्रकाश, आलोक, मनोज निवासीगण खालिसपुर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।